रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2006/भाद्र 7, 1928
No. 125] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2006/BHADRA 7, 1928

IndiaCode

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2006

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बॉण्ड निर्गम एवं प्रबंध) संशोधन विनियमन, 2006

फा. सं. 1965/आरएमडी बॉण्ड.—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) व (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निदेशक मंडल, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बॉण्ड निर्गम एवं प्रबंध) विनियमन, 1990 में पुन: निम्नलिखित संशोधन करता है :—

(1) ये विनियमन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बॉण्ड निर्गम एवं प्रबंध) संशोधन विनियमन, 2006 कहे जाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

(3) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बॉण्ड निर्गम एवं प्रबंध) विनियमन, 1990 के विनियम 24 में, उप-विनियम (ख) के अंत में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा :—

"परन्तु लघु उद्योग बैंक, निर्गम की शर्तों के अनुसार शोधन विकल्प के आह्वान या परिपक्वता पर, बॉण्ड धारक के हित एवं अन्य संबद्ध कारकों को समझते हुए, बॉण्ड के प्रति देय राशि का भुगतान लघु उद्योग बैंक के कार्यालय में उसके भौतिक प्रस्तुतीकरण या फार्म XIV की अपेक्षा के बिना कर सकता है ।"

के. जी. आलै, महाप्रबंधक

[विज्ञापन III/IV/139ए/2006-असा.]

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2006

Small Industries Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Amendment Regulations, 2006

F. No. 1965/RMD Bonds.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board, makes the following further amendment to the Small Industries Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1990 namely :—

(1) These regulations may be called Small Industries Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Amendment Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) In the Small Industries Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1990, in regulation 24, at the end of sub-regulation (b), the following proviso shall be inserted namely :—

"Provided that the Small Industries Bank may, having regard to the interest of the holder of Bonds and other relevant factors, make the payment of the amount due on the Bond without requiring its presentment or form XIV at the office of the Small Industries Bank invoking call option as per the terms of its issue or on maturity.".

K. G. ALAI, General Manager

[ADVT III/IV/139A/2006-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.